

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(13)नविवि/३/८१

जयपुर, दिनांक

४८ NOV २०२१

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम-4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना दिनांक 19.06.2012 द्वारा अधिसूचित चित्तौड़गढ के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2025 का अनुमोदन किया जा चुका है। नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ के न्यास मण्डल की बैठक दिनांक 16.10.2021 में न्यास क्षेत्राधिकार में तैयार किये गये जोनल ड्वलपमेन्ट प्लान के संबंध में न्यास मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चित्तौड़गढ मास्टर प्लान-2025 (संशोधित) में मौका स्थिति के मध्यनजर मास्टर प्लान में संशोधन किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्तानुसार न्यास मण्डल में लिये गये निर्णय एवं न्यास के प्रस्तावानुसार चित्तौड़गढ मास्टर प्लान-2025 (द्वितीय संशोधन) में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त चित्तौड़गढ मास्टर प्लान-2025 (द्वितीय संशोधन) की प्रति का अवलोकन नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

—१५—

(नवनीत कुमार)  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ४/१०/२१ में प्रकाशन हेतु ऑनलाइन भिजवाये जाने एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

  
३/११/२०२१  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय